



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण सं 30/2019

आयकर आयुक्त, आयकार भवन सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स आदर्शशिला शिक्षा संघ, तीसरी मंजिल, अहिरवाड़ टावर, जी. ई. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़। जिला रायपुर,  
छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : श्री अजय कुमारानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : श्री सुमेश बजाज, ऋषभ बजाज, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

30.07.2025

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमारानी को सुना गया। उत्तरवादी की ओर हेतु पेश विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ बजाज के साथ श्री सुमेश बजाज को भी सुना गया।
2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सम्मिलित, तैयार किया गया तथा उत्तर दिया जाने वाला विधि का सारवान प्रश्न निम्नानुसार है:---



"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, आईटीएटी यह निर्देश देने में सही है कि अधिनियम की धारा 80-जी के तहत अनुमोदन केवल धारा 12 ए के तहत अनुमोदन के अस्तित्व के कारण ही दिया जाना चाहिए, भले ही सीआईटी का निष्कर्ष हो कि सोसायटी वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी हुई है और इसे धर्मार्थ नहीं माना जा सकता है?"

3. मामले के आवश्यक तथ्य यह हैं कि करदाता/प्रतिवादी एक सोसाइटी है जिसने आयकर आयुक्त, रायपुर (जिसे आगे 'सीआईटी' कहा जाएगा) के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80 जी के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवेदन 28.02.2014 को प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी से सोसायटी की वास्तविकता तथा इसकी गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उत्तरवादी सोसायटी को पिछले तीन वर्ष के लेखापरीक्षित खातों की प्रतियां प्रस्तुत करने तथा मूल दस्तावेज तथा उत्तरवादी की धर्मार्थ गतिविधियों का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु दिनांकित 18.07.2014 पत्र जारी करके एक अवसर प्रदान किया गया था। श्री पवन अग्रवाल तथा श्री दीपेश संचेती समय-समय पर उपस्थित होते थे तथा लिखित निवेदन दाखिल करते थे। 6.8.2014 को उत्तरवादी सोसायटी से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था:

- (i) अधिनियम की धारा 2 (15) के अर्थ के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण को शिक्षा कैसे माना जा सकता है।
- (ii) गतिविधियों को धर्मार्थ कैसे माना जा सकता है क्योंकि शुल्क लिया जा रहा है तथा सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से पर्याप्त राशि प्राप्त होती है।
- (iii) सोसाइटी द्वारा प्राप्त किराए को धर्मार्थ कैसे माना जा सकता है?

उत्तरवादी ने समय-समय पर विवरण प्रस्तुत किए हैं। ये विवरण मूलतः सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित हैं। हालाँकि, उत्तरवादी द्वारा किए गए धर्मार्थ कार्यों के संबंध में, वह इस बात पर जोर देता है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में है। उत्तरवादी ने आगे कहा है कि यदि उत्तरवादी अधिनियम की धारा 80 जी के तहत पंजीकरण करा लेता है, तो वह सार्थक तरीके से धर्मार्थ कार्य करने के लिए दान प्राप्त कर सकेगा।

4. संभागीय आयकर आयुक्त-1(1), रायपुर ने दिनांक 8.8.2014 की रिपोर्ट में कहा कि सोसायटी विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, डेंटल, कॉमर्स, मैनेजमेंट आदि के कॉलेजों की स्थापना में लगी हुई है। निम्नलिखित बिंदु देखे गए:

- i) करदाता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति उसके उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है, उदाहरण के लिए, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय (एसएमयू) के लिए छत्तीसगढ़ में एक केंद्र होने के नाते उसे शुल्क प्राप्त होता है, जो उसके उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है और उद्देश्यों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है।
- ii) निर्धारिती को पिछले तीन वर्ष से सोसायटी द्वारा की जा रही धर्मार्थ गतिविधियों के बारे में बताने हेतु कहा गया था। उन्होंने एक छात्रावास के बारे में बताया जो वे नटाल-प्रभावित जिलों के लोगों हेतु चलाते हैं। हालाँकि,



यह देखा गया है कि ट्रस्ट विभिन्न सरकारी संगठनों को कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है, ये सरकारी संगठन सोसाइटी को इन खर्चों की प्रतिपूर्ति करते हैं और सोसाइटी को इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए शुल्क भी मिलता है। इसलिए, इसे उनके द्वारा किया गया धर्मार्थ कार्य नहीं माना जा सकता। इसलिए, डीसीआईटी-1(1), रायपुर ने अधिनियम की धारा 80 जी के तहत अनुमोदन के लिए अनुशंसा नहीं की क्योंकि सोसाइटी कोई धर्मार्थ कार्य नहीं कर रही थी।

5. सीआईटी, रायपुर ने दिनांक 25.08.2014 के आदेश के तहत करदाता/उत्तरवादी द्वारा अधिनियम की धारा 80 जी के तहत अनुमोदन के लिए दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्तरवादी सोसाइटी अपने संस्थानों को वाणिज्यिक आधार पर चला रही है, सोसाइटी ने बुनियादी ढांचे के लिए बैंकों से भारी ऋण लिया है, सोसाइटी ने मेसर्स पोद्दार एजुकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पोद्दार एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई को वाणिज्यिक आधार पर अपना भवन किराए पर दिया है। यदि न्यास के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से कुछ धर्मार्थ हैं और कुछ गैर-धर्मार्थ हैं और ट्रस्टियों के पास आय को किसी भी उद्देश्य पर लागू करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, तो छूट का पूरा दावा विफल हो जाएगा और आय का कोई भी हिस्सा कर से मुक्त नहीं होगा। उत्तरवादी सोसाइटी वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न है और इसे धर्मार्थ नहीं माना जा सकता है।

6. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, सोसायटी/उत्तरवादी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रायपुर पीठ, रायपुर (जिसे आगे 'आईटीएटी' कहा जाएगा) के समक्ष अपील दायर की और विद्वान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 15.01.2019 के आदेश द्वारा करदाता/उत्तरवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और विद्वान आयकर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया तथा करदाता/उत्तरवादी को अधिनियम की धारा 80 जी के तहत अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 15.01.2019 को पारित आदेश विधि सम्मत रूप से दोषपूर्ण है और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत है तथा विकृत है। विद्वान आयकर अपीलीय अधिकरण यह समझने में विफल रहा कि सोसायटी शुल्क लेकर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में संलग्न है। सोसायटी द्वारा किया गया कार्य शिक्षा नहीं माना जा सकता क्योंकि यह अधिनियम की धारा 2(15) में परिकल्पित औपचारिक शिक्षा से बहुत भिन्न है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान आयकर अपीलीय अधिकरण यह समझने में विफल रहा कि सामान्य स्कूली शिक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल, बुद्धि एवं चरित्र का विकास करना ही शिक्षा माना जाता है। अधिनियम की धारा 2(15) में 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग व्यवस्थित अनुदेशन, स्कूली शिक्षा या प्रशिक्षण के अर्थ में किया गया है, न कि उस व्यापक और विस्तारित अर्थ में जिसके अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त ज्ञान अर्जन शिक्षा माना जाता है।



विद्वान आईटीएटी यह समझने में भी विफल रहा कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन 'शिक्षा' नहीं है। तकनीकी, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों आदि की स्थापना जो किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं या व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान आईटीएटी यह समझने में भी विफल रहा कि एसएमयू के साथ उसके करार का निम्नलिखित खंड स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि यह एक कोचिंग संस्थान की प्रकृति का है। उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान आयकर अपीलीय अधिकरण यह समझने में विफल रहा कि प्रशिक्षुओं से निर्दिष्ट राशि लेकर छात्रों को कुछ निर्दिष्ट परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक निजी कोचिंग संस्थान चलाना, ऐसे संस्थान को चलाने वाले करदाता को अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं लाएगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान आयकर अपीलीय अधिकरण ने उन आधारों का खंडन या खंडन नहीं किया जिनके आधार पर सीआईटी द्वारा अनुमोदन अस्वीकार किया गया था। इस प्रकार, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध दिया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी/करदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि दान प्राप्तकर्ता अधिनियम की धारा 12 ए(ए) के तहत विधिवत पंजीकृत था और फिर भी धारा 80 जी(5) के तहत लाभ को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि गतिविधियों को धर्मार्थ नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि धारा 12 ए के तहत पंजीकरण बरकरार है तो अधिनियम की धारा 80 जी के तहत लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जब तक धारा 12 ए के तहत पंजीकरण बरकरार है, तब तक अधिनियम की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत अनुमोदन से इनकार करने का कोई तर्क नहीं प्रतीत होता है तथा जब तक धारा 12 ए के तहत पंजीकरण मौजूद है, तब तक गतिविधियों की वास्तविकता तथा धर्मार्थ होने के उद्देश्य के बारे में विभाग द्वारा आगे की जांच नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पंजीकरण को मूल्यांकन वर्ष 2026-27 तक नवीनीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार, अपील खारिज किये जाने योग्य है। उन्होंने हीरालाल भगवती बनाम आयकर आयुक्त, 2000 एससीसी ऑनलाइनगुज 441 मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले, आयकर आयुक्त (छूट) बनाम संत गिरधर आनंद परमहंस संत आश्रम, 2018 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 7109 मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले, सहायक आयकर आयुक्त बनाम सूरत सिटीजिमखाना, (2008) 14 एससीसी 169 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम आयकर उप निदेशक (छूट), (2011) 335 आईटीआर 575 मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

9. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है, जिन्होंने आक्षेपित आदेश तथा अपील के साथ संलग्न अन्य दस्तावेज हेतु अध्ययन किया है।



10. हीरालाल भगवती (सुप्रा) मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

“18. यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक बार अधिनियम की धारा 12 ए(ए) के तहत पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद, लाभ प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आयकर अधिकारी द्वारा पंजीकरण के तहत मिलने वाले लाभों को अस्वीकार करना उचित नहीं था। यदि नियम 17 ए के साथ धारा 12 ए(ए) के तहत परिकल्पित पंजीकरण नहीं होता, तो राजस्व विभाग द्वारा यह दलील देना उचित होता कि लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है और पंजीकरण प्रदान किया गया है, वहां इस आधार पर लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह योजना आम जनता के लाभ के लिए नहीं है।

25. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि यह एक प्रतिबंधित वर्ग के लिए है, इसलिए इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे और इसलिए, विशेष सिविल आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, शीर्ष न्यायालय के निर्णयों पर विचार करते हुए, जिनका यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए, राजस्व की ओर से की गई प्रस्तुतियों का कोई गुण नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उत्तरवादी संख्या 2 ने अधिनियम के तहत लाभों को अस्वीकार करने में गलती की है। जहाँ तक जुर्माने की कार्यवाही का संबंध है, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, इसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए तथा तदनुसार अपास्त किया जाता है”

11. संत गिरधर आनंद परमहंस संत आश्रम (सुप्रा) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“6.....तदनुसार, न्यायाधिकरण द्वारा यह दर्ज किया गया कि चूंकि करदाता को अधिनियम की धारा 12 ए के तहत छूट दी गई थी जो अस्तित्व में थी और किसी भी उल्लंघन के मामले में, यह सीआईटी (ई) द्वारा परिवर्तन/वापसी के अधीन था, इसलिए अधिनियम की धारा 80 जी(5)(vi) के तहत अनुमोदन से इनकार करने का कोई तर्क नहीं था। हमें न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग होने का कोई कारण नहीं पाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि, यदि बाद के वर्षों में, राजस्व संतुष्ट है कि प्रतिवादी-करदाता की गतिविधियाँ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए योग्य नहीं हैं, तो विभाग के लिए अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू करना और कानून के अनुसार अधिनियम की धारा 80 जी(5)(vi) के तहत दी गई मंजूरी के संबंध में उचित आदेश पारित करना खुला होगा।”

12. सूरत सिटी जिमखाना (सुप्रा) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

“5. हीरालाल भगवती (सुप्रा) मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से, अब हम पाते हैं कि प्रश्न 'ख' भी उक्त निर्णय द्वारा समाप्त हो गया है (आईटीआर पृष्ठ 196 के पहले कंडिका का संदर्भ लें)। चूंकि राजस्व विभाग ने उक्त मामले में निर्णय को चुनौती नहीं दी, इसलिए यह अंतिम हो गया है। इसलिए, प्रश्न 'बी' का हथ प्रश्न 'ए' जैसा ही होना है क्योंकि इस न्यायालय ने प्रश्न 'ए' के संबंध में अनुमति



देने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि राजस्व ने हीरालाल भगवती (सुप्रा) के मामले में निर्णय की सत्यता को चुनौती नहीं दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य कि प्रश्न 'बी' भी उपर्युक्त निर्णय के अंतर्गत आता है, उनके ध्यान में नहीं लाया गया और इसलिए, दी गई अनुमति प्रश्न 'बी' तक ही सीमित थी।

13. अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (सुप्रा) में, गुजरात उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है: – “11. वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्वोक्त अनुपात को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि 30-12-2009 को मूल्यांकन आदेश तैयार करते समय, मूल्यांकन अधिकारी के लिए आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद द्वारा अधिनियम की धारा 12-ए के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 23-10-2003 को अनदेखा करना उचित नहीं था। इसलिए, इस सीमित आधार पर मूल्यांकन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर प्रतीत होता है और इसके अनुसरण में मांग की वसूली नहीं की जा सकती थी। इसलिए प्रतिवादी का यह कर्तव्य है कि वह कर निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए दिनांक 30-12-2009 के कर निर्धारण आदेश के अनुसरण में उठाई गई मांग की वसूली को प्रथम अपील के निपटारे तक रोके रखे, जो पहले से ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।”

14. वर्तमान मामले में, आई. टी. ए. टी. ने अपील को स्वीकार करते हुए तथा सी. आई. टी. के आदेश को दरकिनारा करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---

“6. हमने प्रतिद्वंदी दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। वर्तमान आधार पर विवादक अधिनियम की धारा 80 जी के तहत आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित है। हमारे समक्ष, माननीय अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत किया है कि करदाता को अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है और पंजीकरण आज तक जारी है तथा आयकर आयुक्त द्वारा उक्त पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है। माननीय अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त तर्क का राजस्व विभाग द्वारा खंडन नहीं किया गया है। हम पाते हैं कि डॉ. ज्ञानेंद्र गोयल फाउंडेशन बनाम आयकर आयुक्त (सुप्रा) के मामले में न्यायाधिकरण की आगरा पीठ ने इसी तरह की परिस्थिति में हीरालाल भगवती बनाम आयकर आयुक्त (सुप्रा) के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के बाद यह माना है कि जब आयकर आयुक्त ने न्यास की गतिविधियों की वास्तविकता की जांच करने के बाद धारा 12 ए के तहत पंजीकरण प्रदान किया है, और प्रदान किया गया पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है, तो आयकर आयुक्त के लिए यह उचित नहीं है कि वे धारा 80 जी के तहत छूट के लाभ के लिए न्यास के आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दें कि न्यास की गतिविधियां वास्तविक नहीं थीं।

7. हमारे समक्ष, राजस्व विभाग ने न तो कोई विपरीत बाध्यकारी निर्णय प्रस्तुत किया है और न ही अभिलेख पर कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध हो कि न्यायाधिकरण की आगरा पीठ के उपरोक्त निर्णय को उच्च न्यायिक मंच द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः, हम न्यायाधिकरण की आगरा पीठ के निर्णय का अनुसरण करते हैं और समान कारणों से यह मानते हैं कि वर्तमान मामले में आयकर आयुक्त द्वारा करदाता के





आवेदन को अस्वीकार करना उचित नहीं था। अतः, हम आयकर आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हैं और करदाता को अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार, करदाता के आधार स्वीकृत किए जाते हैं।

**8. परिणामस्वरूप, करदाता की अपील स्वीकृत की जाती है।”**

15. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान आईटीएटी ने माना है कि राजस्व/अपीलकर्ता ने कोई विपरीत बाध्यकारी निर्णय नहीं बताया है और न ही रिकॉर्ड पर कोई सामग्री रखी है जिससे यह प्रदर्शित हो कि न्यायाधिकरण की आगरा बेंच के उपरोक्त निर्णय को उच्च न्यायिक फोरम द्वारा रद्द कर दिया गया है और न्यायाधिकरण की आगरा बेंच के निर्णय के बाद विद्वान आईटीएटी ने माना कि वर्तमान मामले में आयकर आयुक्त द्वारा करदाता/प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करना उचित नहीं था और विद्वान सीआईटी के आदेश को रद्द कर दिया और अधिनियम की धारा 80 जी के तहत करदाता को अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश दिया।

16. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, विद्वान आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश तथा विद्वान आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करते हुए तथा उपर्युक्त निर्णयों (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि विद्वान आयकर अपीलीय अधिकरण ने करदाता/प्रतिवादी की अपील को स्वीकार करते हुए तथा विद्वान आयकर आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुए कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की है। इस प्रकार, विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर उत्तरवादी के पक्ष में तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध दिया जाता है।

17. पूर्वोक्त कारणों से, अपील में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

सही /-  
(रमेश सिन्हा)  
मुख्य न्यायाधीश

सही /-  
(बिभू दत्त गुरु)  
न्यायाधीश



जब तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 एए के तहत पंजीकरण अस्तित्व में है, तब तक आयकर विभाग द्वारा गतिविधियों की वास्तविकता और धर्मार्थ उद्देश्य के बारे में आगे की जांच नहीं की जा सकती है।







**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

